अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३

आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमण्डल, सहरसा

भूमि विवाद अपील संख्या-363/2012

अर्जुन मंडल एवं अन्य.....अपीलकर्त्ता

बनाम

उपेन्द्र झा.....विपक्षी

आदेश

यह अपीलवाद भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज के भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या-02/2012-13 दिनांक 10.07.2012 को पारित आदेश के संदर्भ में लाया गया है। आदेश की प्रति लेने में कुछ प्रक्रियात्मक विलम्ब हुई है, जिसके वजह से उनके अधिवक्ता के अनुरोध पर विलम्ब क्षांत करने की अनुमति दी गई। विवादग्रस्त भूमि का विवरण निम्नवत् है :- मौजा-गणेशपुर, थाना संख्या-142, अंचल-पुरैनी, खाता संख्या-36 (पुराना) 125 (नया), खेसरा संख्या-1152 (पुराना) 2087 (नया), रकवा-37 डिसमिल में से उत्तर से 17 डिसमिल।

वादी के अर्जी आवेदन के पारा-4 एवं 5 में स्पष्ट किया गया है कि इस वाद से संबंधित दशरथ मंडल एवं अन्य ने स्वत्व वाद संख्या-314/2011 सब-जज-।, मधेपुरा के न्यायालय में केश चल रहा है, जिसका निष्पादन अभी तक नहीं हुआ है। अपने दावा के प्रमाण में वादी द्वारा सब-जज-।, मधेपुरा के न्यायालय के आदेश फलक की छायाप्रति बहस के दौरान दिखाया गया, जिसमें इस वाद की अगली तारीख 05.11.2014 है।

द्वितीय पक्ष का कथन है कि इस वाद में वे पक्षकार नहीं है। फिर भी स्वत्व वाद 314/2011 के शिड्यूल-। के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद ग्रस्त भूमि के विवरण के अंदर आता है क्योंकि शिड्यूल-। खाता संख्या-36(पुराना) 125 (नया), खेसरा संख्या-1152 (पुराना) 2087 (नया), रकवा-37 डिसमिल दर्ज है। अतः यह स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि एक ही है एवं अभिलेख को देखने से यह

स्पष्ट है कि इसी भूमि में कुल रकवा 73 डिसमिल में से 53 डिसमिल की ब्रिक्री हुई थी तथा शेष में विवाद चल रहा है। इसके लिए स्वत्व वाद लाया गया है, जो निर्णायाधीन है। ऐसी स्थिति भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 4(5) से यह वाद पूर्णतः प्रभावित है, जिसका उल्लेख निम्न न्यायालय के आदेश में भी किया गया है तथा यह भी अंकित किया गया है कि व्यवहार न्यायालय के अधिकार वाद में पारित होने वाले आदेश अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

उपरोक्त के आलोक में प्रश्नगत भूमि के बारे में स्वत्व वाद के फैसले का प्रतीक्षा करना नियमानुकूल होगा। इस हद तक निम्न न्यायालय के फैसला संशोधित करते हुए वाद का निस्तार किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

30.9.14

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

30.9.14

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।